सं.27-12012/1/2021- हिंदी- एमएनआरई

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
(हिन्दी अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 4 जनवरी, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 से केन्द्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम-काज राजभाषा हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नए पाठ्यक्रम "पारंगत" के अधीन प्रस्तावित पुरस्कार लागू करने के संबंध में।

मुझे उपरोक्त विषय में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 के का.ज्ञा. सं. 2034/69/2008/रा.भा.(प्रशि.) की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभ्यास आधारित नए पाठ्यक्रम "पारंगत" कार्यक्रम में भाग लेने वाले कार्मिकों को निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर निम्नलिखित एकमुश्त पुरस्कार राशि प्रदान की जानी है:

(क) 55% से 59% अंक प्राप्त करने पर	4,000/- रु.
(ख) 60% से 69% अंक प्राप्त करने पर	7,000/- रु.
(ग) 70% से अधिक अंक प्राप्त करने पर	10,000/- रु.

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

(परमानन्द)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

मंत्रालय के सभी अधिकारीगण/ अनुभाग/प्रभाग

प्रतिलिपि :

1. मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालय (इरेडा/सेकी/नाइस/नीवे/नीबे)
2. एनआईसी- कृपया इसे मंत्रालय की वेबसाइट के वर्तमान नोटिस (Current Notice) और राजभाषा हिंदी खंड में संलग्नकों सहित अपलोड करने की कृपा करें।

सं.21034/63/2008-रा.भा.(प्रशि.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक- 21 दिसम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय -वित्तीय वर्ष 2021-2022 से केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम-काज राजभाषा हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नए पाठ्यक्रम "पारंगत" के अधीन प्रस्तावित मानदेय (पुरस्कार) लागू करने के संबंध में ।

केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा "पारंगत" पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण आरंभ किया गया है । वित्तीय वर्ष 2021-22 से **"पारंगत"** पाठ्यक्रम को व्यापक व लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिकों को पारंगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर निम्नलिखित एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :-

(क) 55% से 59% अंक प्राप्त करने पर	4000/-रु.
(ख) 60% से 69% अंक प्राप्त करने पर	7000/-रु.
(ग) 70% से अधिक अंक प्राप्त करने पर	10,000/-रु.

2. उपरोक्त प्रोत्साहन संबंधी वित्तीय खर्च को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को ही वहन करना पड़ेगा ।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 17.12.2020 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या 14(2)ई.समन्वय 2015 (1526920) के अनुसार जारी किया जा रहा है ।

(आनंद कुमार)

निदेशक (प्रशि.)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।

.....जारी